भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 600
09 दिसंबर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अवसंरचनात्मक विकास के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

600. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को राज्यों से उनके सरकारी अस्पतालों में अवसंरचनात्मक और अन्य सुविधाओं में सुधार के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान ओडिशा सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का राज्यों को इस प्रयोजन हेतु अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) बैठक के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रस्तावों की समीक्षा की जाती है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से भाग लिया जाता है और मानदंडों व उपलब्ध संसाधनों के अनुसार रिकॉर्ड ऑफ प्रोसिडिंग्स (आरओपी) के रूप में अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में पीआईपी और आरओपी का विवरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट अर्थात https://nhm.gov.in. पर उपलब्ध है।

अस्पताल के सुदृढ़ीकरण और नव निर्माण/पुनर्निमाण/स्थापना की गतिविधि हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (ओडिशा सहित) के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा अनुलग्नक-I में है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 64,180 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) की शुरूआत की गई थी। पीएम-एबीएचआईएम के तहत उपायों में वर्तमान और भावी महामारियों/आपदाओं का प्रभावी ढ़ग से सामना करने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियां तैयार करने हेतु प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट सभी स्तरों पर परिचर्या के निरंतर सुधार के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थाओं की क्षमताओं के विकास पर बल दिया जाता है। यह योजना एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसमें कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटक हैं।

अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और नव निर्माण/पुनर्निमाण व स्थापना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमोदनों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु.में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	340.00	135.00	159.00
2	आंध्र प्रदेश	43234.00	14399.00	2583.25
3	अरुणाचल प्रदेश	2549.94	2828.89	5674.45
4	असम	18009.34	33641.14	23425.82
5	बिहार	52755.20	36745.92	37842.57
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	12983.45	14686.45	15047.86
8	दादरा और नगर हवेली	1.92	5.76	2.88
9	दमन और दीव	5.76		
10	दिल्ली	1012.12	381.96	681.80
11	गोवा	36.32	119.60	125.95
12	गुजरात	3901.65	2185.12	878.22
13	हरियाणा	7603.28	17020.75	12804.52
14	हिमाचल प्रदेश	5521.00	8731.00	3547.39
15	जम्मू और कश्मीर	6805.35	4505.65	3433.33
16	झारखंड	11349.15	10591.96	2494.78
17	कर्नाटक	25128.33	19381.04	15324.05
18	केरल	14310.07	11316.81	5897.00
19	लद्दाख	0.00	3240.67	3125.00
20	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
21	मध्य प्रदेश	30611.22	53937.59	25482.92
22	महाराष्ट्र	79683.45	49479.00	55881.84
23	मणिपुर	1779.33	2633.15	2999.42
24	मेघालय	954.68	1444.80	1656.32
25	मिजोरम	449.17	570.03	35.40
26	नगालैंड	1100.19	3943.01	1074.84
27	ओडिशा	43027.62	21229.04	32846.14
28	पुदुच्चेरी	58.00	14.88	26.16
29	पंजाब	7121.00	9096.00	5201.90
30	राजस्थान	53999.20	96888.58	85616.83
31	सिक्किम	693.17	388.52	391.84
32	तमिलनाडु	27386.93	36251.27	26196.13
33	तेलंगाना	31612.33	15012.86	7640.83

34	त्रिपुरा	5051.69	4549.00	4998.54
35	उत्तर प्रदेश	45650.91	147304.31	124665.62
36	उत्तराखंड	7082.25	10574.88	13588.14
37	पश्चिम बंगाल	16703.00	18282.20	7984.58

नोट:

1. उपर्युक्त आंकड़ों में अस्पताल का सुदृढ़ीकरण- सीएचसी, पीएचसी, जिला अस्पताल का उन्नयन, किराया और आकस्मिकताएं और नव निर्माण / पुनर्निमाण और स्थापना- सीएचसी, पीएचसी, एसएचसी / उप केंद्र, सिविल कार्यों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विंग की स्थापना, सरकारी औषधालयों/अन्य जीर्णोद्धार और बीएचओ, बीईएमओसी और सीईएमओसी केंद्रों का निर्माण, एफआरयू के संचालन के लिए प्रमुख सिविल कार्य, पीएचसी में 24 घंटे सेवाओं के संचालन के लिए प्रमुख सिविल कार्य, प्रशिक्षण संस्थानों की अवसंरचना, एसडीएच, डीएच, डीईआईसी का सिविल कार्य (आरबीएसके) , एनयूएचएम के तहत अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, आदि शामिल है।
2. उपर्युक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार है।

****